Delhi Public School - Bulandshahr (U P)

Fee Structure for the F.Y. 2021-2022

UP Govt. Letter Ref. No. : 11/2021/1040/15-7-2020-1(20)/2020 dt. 20.05.2021

S.No.	Particulars	Class	Fee 2019 - 20	Fee 2020 - 21	Fee 2021 - 22
	FOR NEW ADMISSIONS				
	Registration	Nry to XII	1000	1000	1000
	Admission Fee	Nry to XII	25000	25000	25000

1	Annual Fee	Nry to Ist	22000	22000	**21100**
	Other Fee		46800	46800	**46800**
	Total		**68800**	**68800**	**67900**
2	Annual Fee	II	22000	22000	**21100**
	Other Fee		49800	49800	**49800**
	Total		**71800**	**71800**	**70900**
3	Annual Fee	III to V	22000	22000	**21100**
	Other Fee		49800	49800	**49800**
	Total		**71800**	**71800**	**70900**
4	Annual Fee	VI to VIII	20800	20800	**19900**
	Other Fee		49800	49800	**49800**
	Total		**70600**	**70600**	**69700**
5	Annual Fee	IX & X	19900	19900	**19900**
	Other Fee		49800	49800	**49800**
	Total		**69700**	**69700**	**69700**
6	Annual Fee	XI & XII	19900	19900	**19900**
	Other Fee		52200	52200	**52200**
	Total		**72100**	**72100**	**72100**

Transport Fee :

1	Local Bulandshahr (Per month)	1600	1600	1600
2	Outside of Municipal Limit (Per Month) (Sikandrabad, Shikarpur, Gulaothi, Khurja)	1900	1900	1900

DELHI PUBLIC SCHOOL * BULANDSHAHR *

Delhi Public School - Bulandshahr (U P)

Installment Wise Fee Chart for the Session 2021 - 2022

UP Government Letter Ref. No. :11/2021/1040/15-7-2020-1(20)/2020 dt. 20.05.2021

Installment	Last Date of Fee Deposition	Classes Nry to Ist	Classes IInd to V	Classes VIth to VIII	Classes IXth & Xth	Classes XIth & XIIth
Ist (April & May 2021)	Upto 10th of April 2021	12200	12700	12460	12280	12680
2nd (June & July 2021)	Upto 10th of June 2021	12200	12700	12460	12280	12680
3rd (August & September 2021)	Upto 10th of August 2021	12200	12700	12460	12280	12680
4th (October & November 2021)	Upto 10th of Oct. 2021	11300	11800	12460	12280	12680
5th December & January 2022)	Upto 10 th of Dec. 2021	12200	12700	11560	12280	12680
6th (February & March 2022)	Upto 10th Feb. 2022	7800	8300	8300	8300	8700
	Total	**67900**	**70900**	**69700**	**69700**	**72100**

Note :

Admission fee Rs. 25,000/- will be charged at the time of Admission alongwith the Ist Instalment

Transport fee also will be charged alongwith the fee instalment if transport facility avail.

DELHI PUBLIC SCHOOL * BULANDSHAHR *

संख्या-11/2021/1040/15-7-2020-1(20)/2020

प्रेषक,

आराधना शुक्ला,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- शिक्षा निदेशक (मा0) एवं सभापति,
मध्यमिक शिक्षा परिषद,
उ0प्र0, लखनऊ।

2- सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

3- समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश।

4- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7 लखनऊ: दिनांक 20 मई, 2021

विषयः- कोरोना वायरस (कोविड-19) के कारण उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डो के समस्त विद्यालयों द्वारा ली जाने वाली शुल्क को नियमित करने एवं विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कार्मिकों को वेतन/पारिश्रमिक का भुगतान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या-195/एक-11-2020, दिनांक 24-03-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 सपठित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा-2(जी) के अंतर्गत कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया गया है।

2- कोविड-19 महामारी के कारण कई परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। कोविड-19 वायरस के फैलाव एवं संक्रमण पर नियंत्रण करने हेतु यद्यपि कुछ समय के लिए विद्यालय बन्द किए गए, परन्तु ऑनलाइन पठन-पाठन का कार्य जारी है तथा विद्यालयों द्वारा छात्रों से शुल्क भी प्राप्त किया जा रहा है। विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन को भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है, जिससे कि उनके परिवारों में कोई आर्थिक कठिनाई उत्पन्न न हो।

3- अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डो के समस्त विद्यालयों के सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त छात्रहित एवं जनहित में निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैः-

1. प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डो के समस्त विद्यालयों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए शुल्क वृद्धि न की जाय तथा पिछले वर्ष की भांति, शैक्षणिक सत्र 2019-20 हेतु लागू की गयी शुल्क संरचना के अनुसार ही शैक्षणिक सत्र 2021-22 में छात्र/छात्राओं से शुल्क लिया जाय। यदि किसी विद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 में शुल्क वृद्धि करते हुए, बढ़ी हुई दरों से शुल्क लिया जा चुका है तो बढ़ी हुई अतिरिक्त शुल्क को आगामी महीनों के शुल्क में समायोजित किया जाय।

2. जब तक विद्यालयों में भौतिक रूप से ऑफलाइन परीक्षा संपादित नहीं की जा रही है तब तक परीक्षा-शुल्क छात्रों से न लिया जाए। इसी प्रकार विद्यालय बन्द रहने की अवधि में जब तक कि क्रीडा,

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

विज्ञान/प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, कम्प्यूटर, वार्षिक फंक्शन इत्यादि, संबंधी गतिविधियां नहीं हो रही हैं, तब तक उक्त गतिविधियों से संबंधित किसी प्रकार का शुल्क एवं परिवहन शुल्क छात्रों से न लिया जाए।

3. किसी भी छात्र/अभिभावक को यदि 03 माह का अग्रिम शुल्क जमा करने में कठिनाई हो, तो छात्र/अभिभावक के अनुरोध पर उनसे मासिक शुल्क लिया जाय तथा 03 माह का अग्रिम शुल्क जमा करने के लिए बाध्य न किया जाय।

4. यदि कोई छात्र एवं उनके परिवार के सदस्य (माता, पिता, भाई, बहन) कोविड-19 से संक्रमित है तथा उन्हें किसी महीने के शुल्क को देने में कठिनाई हो रही है तो उनके लिखित अनुरोध पर विद्यालय द्वारा उस महीने का शुल्क, अग्रिम महीनों की शुल्क में किश्तों के रूप में समायोजित किया जाए।

5. विद्यालयों में कार्यरत समस्त शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों को नियमित रूप से पारिश्रमिक/वेतन का भुगतान सम्बंधित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जाय।

4- उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यदि विद्यालयों द्वारा शुल्क आदि के संबंध में उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने में शिथिलता बरती जाती है, तो उत्तर प्रदेश स्ववित्तोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क निर्धारण) अधिनियम, 2018 की धारा-8(1) अन्तर्गत गठित जिला शुल्क नियामक समिति के समक्ष छात्रों/अभिभावकों द्वारा शिकायत प्रस्तुत की जा सकती है।

उपरोक्त व्यवस्थाओं का नियमित अनुश्रवण जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा किया जाएगा तथा सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी छात्र एवं शिक्षक को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो।

भवदीया,

आराधना शुक्ला
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-11/2021/1040(1)/पन्द्रह-7-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः.

1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- अपर मुख्यि सचिव, मुख्य मंत्री उ0प्र0।
3- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0।
7- निजी सचिव, मा0 उप मुख्य मंत्री, उ0प्र0।
8- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आफाक अहमद
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।